

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265608
SG-DL-E-21082025-265608असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 185
No. 243]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947	[N. C. T. D. No. 185

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

सं. 07/2025-राज्य कर (दर)

फा. सं. 3 (19)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/781.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 30-06-2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/379 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, “कोई भी व्यक्ति” शब्दों के पश्चात, “जो कि निगमित निकाय नहीं है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 5 कख के समक्ष, स्तंभ (4) में, “कोई भी पंजीकृत व्यक्ति” शब्दों के पश्चात, “जो कि संयोजन उद्ग्रहण के अंतर्गत केंद्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके के नाम पर

मंगेज सिंह, उप सचिव (वित्त)

टीपः- मूल अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017 की फा0 सं0 3 (15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/379 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जो अंतिम बार दिनांक 22.04.2025 की फा. सं. 3 (02)/वित्त (व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/344 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 09/2024-राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित की गयी थी।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th August, 2025

No. 07/2025-State Tax (Rate)

F. No. 3 (19)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 781.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 13/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated 30-06-2017, namely:-

In the said notification, in the Table,

(A) against serial number 4, in column (3), after the words “Any person”, the words “other than a body corporate” shall be inserted.

(B) against serial number 5AB, in column (4), after the words “Any registered person”, the words “other than a person who has opted to pay central tax under composition levy” shall be inserted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANGEJ SINGH, Dy. Secy. (Fin.)

Note: The principal notification number 13/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated 30/06/2017 and last amended *vide* notification number 09/2024-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (02)/Fin(Exp-I)/2025-26/DS-I/344, dated 22/04/2025.